

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

- सहकारी संघवाद - केंद्र व राज्य एक-दूसरे के राज्य  
संघीय संबंध स्थापित करते हैं।
- भारतीय संघवाद को जो औद्योगिक  
ने 'सहकारी संघवाद' कहा है।
- प्रमाण: विजय में - भू. प्र. प्र.।

सोवेट - अमेरिका को संघ का उच्च सदन  
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, महासम्मेलन  
जैसे विशेषाधिकार हैं।

हालिया संदर्भ - जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति  
ट्रंप पर महासम्मेलन प्रस्ताव दूसरी  
बार लाया गया।

अनुच्छेद 275 - भारतीय संविधान के भाग-12  
के अंतर्गत

- केंद्र द्वारा राज्यों को दिए  
जाने वाले अनुदानों के संबंध  
में।

- संसद जिसे हवा उपबंध करती है।

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

परमादेश - (1) काशिम - आवेदन है कि -

1 D

(2) भारतीय सेविद्यान के अनु-32 के तहत एक रिट।

2

(3) न्यायालय, लोकाधिकारी को कार्यालय के लिए आदेशित करता है।

1 E

आरक्षण का सिद्धांत - अनु-13 (भारतीय सेविद्यान)

विधियों के असंगत होने

जिस सीमा तक विधि आपस में

पर नवीन विधियों का

उन्हें आरक्षण करने का सिद्धांत। होगा

3

1 F

प्रमाणदान - जब सरकार को ध्यान की आवश्यकता स्पष्ट करती है, तब वह प्रमाणदान के माध्यम से मोगती है।

स्पष्ट कर

- आलोचकों ने 'कोरा' शब्द कहा है।

4

- अनुच्छेद 116 (भारतीय सेविद्यान)

1 G

लोकसभा में विपक्ष का नेता - गैर संविधानिक पद

5

- लोकसभा की कुल सीटों

का 10% आरक्षक।

- वर्तमान में कीड़े नहीं है।

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय प्रशासनिक आयोग → लाल हा में दिल्ली में बैठक आयोजित हुई।

गठन  
↓  
संसद द्वारा 1985 में  
संविधान के भाग - XIV में

अधि

97 वीं संविधान संशोधन → सहकारी आगितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।  
(भाग IX B)  
नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी आगितियों को जोड़ा गया।  
अप्रैल 2011 में।

2

सिविल अधिकार संवोधन चारों 14-A

असहप्रभुता में अजी निर्भोग्यताओं के निरोध के संवोधन के द्वारा 14-A → केन्द्र या राज्य सरकार के कामों के लिए संवोधन संवोधन प्रवृत्त की गई कामवाही के लिए संवोधन

2

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

राज्य मानव संसाधन आयोग

1 R

1993 के मानव संसाधन अधिनियम के  
अध्याय पर उल्लेख

संस्था

अध्यक्ष

(शुद्ध न्यायालय का  
निर्वाहिक मुख्य  
न्यायाधीश)

सदस्य - 3

मध्य प्रदेश में - सन् 1994 में कौटिल्य

2

अनुच्छेद 335 - भारतीय संविधान के  
भाग 16 में।

- कुछ वर्गों के संबंध में  
विशेष उपबंध

2

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
व पिछड़े वर्गों को पदों व सेवाओं  
में प्राथम्यता।

नरहता की पहचान पर - सन् 2003 में

2003

कोशियुक्त नरहता के  
पहचान पर पहली बार  
व्याप्य पर।

3

- राष्ट्रीय निर्वाचन प्रक्रिया में  
अप्रत्यक्ष।



कौटिल्य एकेडमी

P.O. INDORE : Bhanwarwada Square Ph. : 0731-4226635

9368823 (Mob.) 9825068121 587921541

www.kootilayacademy.com



# मुख्य परीक्षा

## म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

दिनांक  
पृष्ठ  
संख्या

पृष्ठ  
संख्या

2/1

→ सिजी संगठन जो अपने कार्यों  
के अंदर सरकारी की संस्था में ही लगाते हैं।  
संगठन

→ राष्ट्रीय न्याय आयोग  
के तहत फंजीशन करना होता है

→ चर्चा में - विदेशी आवास में  
पुस्तक के तहत 20000 से अधिक पर  
प्रतिबंध

7

0

राज्य का महाधिकात्मक → राज्य का सबसे  
बड़ा विधि आधिकारी

→ भारतीय संविधान के  
अनु. 165 में वर्णित

→ राज्यपाल द्वारा नियुक्ति

→ म.प्र. में वर्तमान - शशांक मिश्र

7

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

21A

विनीय आपात - भारतीय संविधान में राष्ट्र में एकता-संरक्षण. उदाहरण करने के

उद्योग के आपातकारीन उपबंधों में के एक है - विनीय आपातकाल ।

प्रमुख बिंदु - (1) अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा ।

(2) 2 मही के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुसूचित होगा सावधान है ।

प्रभाव - (1) राष्ट्रपति राज्य के समस्त धन व सित विधेयों को अपनी पूर्वाहमति में प्रस्तुत करण करता है ।

इतने-ही-ही है कि अभी तक इसमें विनीय आपात नहीं

~~लिखना है~~  
~~लिखना है~~  
~~लिखना है~~

20

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

CAG - भारत का निम्नलिखित एवं महत्वपूर्ण परीक्षा, आयत  
के तंत्रिका विभाग का मुखिया होता है।

- अनुच्छेद 148-151 तक प्राप्ति का  
वर्ष है।

निष्पत्ति के लिए दिए गए उपाय - (1) कोर्ट की  
मंडी केग का  
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

(2) वह केन्द्र सरकार से संबंधित प्रतिवेदन  
राष्ट्रपति की सौंपता है अनुच्छेद 151।

(3) केग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।  
उल्लंघन प्रक्रिया के पश्चात भी जो केग वह कार्य  
नहीं कर सकता।

CAG का नियुक्ति  
का द्वारा है

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न  
संख्या

20

नागरिक चार्टर या नागरिक शक्तिवापस एक  
ऐसा कौषण्य है जिसे संगठन की अपनी  
सेवाओं के माध्यम से संगठन संबंधी सूचनाओं, सेवाओं  
तक पहुंचाने और पदों की प्रतिक्रियाओं का  
विवरण होगा।

सुझाव के उपाय → (1) पारदर्शी बनाने के लिए  
समाप्त व गोपनीय की कृपिका।

(2) समय समय पर पुनर्मूल्यांकन

(3) नागरिक चार्टर को वैधानिक दर्जा दिया  
जाना चाहिए।

(4) पारदर्शी कौषण्य सेवा का पालन किया  
जाना चाहिए।

7



# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

उच्च महाविद्यालय - मध्य प्रदेश - राजधानी - भोपाल  
पाठ्यक्रम - राज्य लोक सेवा

546 अ  
कक्षा  
लिखित

एक माह होता है।

विकासवादी, गतिविधि - (1) भारत में इस संस्था की उत्पत्ति 1916 के दशक में हुई।

(2) 1972 में मैन्ड फॉरवर्ड एग्जामिनेशन एंड सेलेक्शन (MFE) का गठन हुआ।

(3) माहों के माध्यम विभिन्न क्षेत्रों में भी शिक्षण गया - जैसे - अर्वा जयपुर प्रायः उच्च शिक्षण केन्द्र (1989)।

भारत शासन अधिनियम 1955 - भारत का संविधान का मुख्य स्तंभ गढ़े अधिनियम है जो ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया था।

प्रावधान - (1) इसने अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की।

(2) किंग्स सुची, राज्य व संघों के अधिकारों के माध्यम में अधिकारों का अंतर।

(3) प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, जिसमें प्रांत।

(4) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार।

(5) लोकसेवा आयोगों की स्थापना।

इस अधिनियम ने भारत परिकल्पना कर दी।

35

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

2 G

- भारत के संविधान के प्रावधानों के तत्व :-
- (1) संविधान का मौलिक होने के वाक्य में एकलपक्षता की ओर झुकाव।
  - (2) एकल नागरिकता का प्रावधान।
  - (3) एकल स्वयं व निष्पक्ष न्यायपालिका।
  - (4) संविधान संशोधना की संसद की शक्ति।
  - (5) आपातकाल के प्रावधान।
  - (6) अविच्छेद शक्तियों का केन्द्र में मिलित होगा।
- निष्कर्ष :- उपरोक्त प्रावधान भारत की स्थिति में संवैधानिक प्रोविड करने के साथ-साथ लागू में प्रकाशक प्रोविड करते हैं।

2 I

- लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया निष्पक्ष और स्वतंत्र हो के लोकतंत्र में अनेकों स्वामियों से मिलकर पाए जा सकती है। किंतु इसके अंगुष्ठ चुनौतियाँ हैं वे निम्न हैं :-
- (1) बलाशक्ति एवं अभानशक्ति में गलत भावना का विलोप लेना।
  - (2) धीरे प्रकाशित के तंत्र का फँसना।
  - (3) पैड न्यूज से प्रचार का इलाज।
  - (4) टी-आर-पी में आने रहने की मान्यता।

इन चुनौतियों के वाक्य में भी मीडिया पर अपना प्रभाव को सुनिश्चित में रहा है।

उपरोक्त प्रश्न

# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

संख्या  
३४  
दिनांक

सर्वेन्द्र सिंह से महिलाओं का अंतरंग आवागमन 2008  
में आदिनाम आदिनामों के सुझावों को ध्यान में रखते  
होकर के अंतर्गत से वे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक  
प्रोबल से निवारण के लिए लक्ष्य रखा गया।

प्राथम्य प्रावधान → **खंड-4** के तहत अंतरंग  
आवागमन से अंतरंग का अंतरंग

→ **खंड-12** के तहत अंतरंग का अंतरंग  
आदिनामों को सुझावों के लिए अंतरंग  
से अंतरंग है।

→ **खंड-16** - अंतरंग की अंतरंग अंतरंग के अंतरंग  
अंतरंग से अंतरंग अंतरंग है।

34

अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग में  
अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग  
अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग  
अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग  
अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग

4

- (1) अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग
- (2) अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग
- (3) अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग
- (4) अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग
- (5) अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग

अंतरंग का अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग  
अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग

# मुख्य परीक्षा

## म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

3/4

लोकतंत्र - लोकतंत्र के अनुसार जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाती है।

लोकतंत्र के प्रकार

शासन प्रणाली के आधार पर

राजनीति आधार पर

प्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

असंगठित

असंगठित

(म.प्र. भारत)

(उदा. अमेरिका)

असंगठित लोकतंत्र व असंगठित लोकतंत्र में निम्न विधियों के आधार पर विशेषण किया जा सकता है।

(1) राज्याध्यक्ष :-

संसदीय - राज्याध्यक्ष का महत्त्व निम्न प्रकार होता है। उदा - ब्रिटेन के राजा या भारत के राष्ट्रपति।

असंसदीय - राज्याध्यक्ष ही राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है न कि संसदीय। जैसे - अमेरिका का प्रेजिडेंट



# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

(2) कार्यपालिका व विद्याभिका

अंशदाताक - कार्यपालिका, विद्याभिका से पूषक नहीं होती । विद्याभिका में लिम रल को आप्ते से अधिक सदस्यों का समापन हासिल होता है वही कार्यपालिका के सदस्यों का निर्धारण करती है ।

अध्यात्मक - कार्यपालिका, विद्याभिका से पूरी तरह पूषक होती है ।

(3) राष्ट्रपति की शक्ति : अंशदाताक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को विद्याभिका में जेन करे का अधिकार होता है ।

अध्यात्मक - यहां कार्यपालिका, विद्याभिका के पूषक होने के कारण राष्ट्रपति को यह विवेकायोग काम नहीं होता कि वह विद्याभिका में जेन करे ।

(4) सहन के सदस्य : अंशदाताक आमतौर पर दो सदस्यों से विभाजे होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य चुनकर आते हैं ।  
अध्यात्मक : - राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह मंत्रालय के सदस्यों को चुन सके ।

# मुख्य परीक्षा

## म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

संघीय प्रशासकीय व अहमदाबाद प्रशासकीय के अपने-अपने संकायगत, गैरसंकायगत प्रभाव हैं। किंतु भारत के संविधान-निर्माताओं ने अहमदाबाद प्रशासकीय न चुनकर संघीय प्रशासकीय को चुना।

इसके दो आधार हैं:-

(1) प्राचीनों की ब्रिटिशों के कारण संघीय प्रशासकीय का पर्याप्त अनुभव हो चुका था।

(2) भारत जैसे विभिन्नताओं से पूर्ण देश में अहमदाबाद प्रशासकीय के विरोध से बचा पर सकता था।

अतः कुछ कारणों से भारत में संघीय प्रशासकीय को अपनाया।

२३

## म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग


निर्वाचन आयोग - भारतीय संविधान के भाग ३२ में वर्णित है।

भारत में निर्वाचन आयोग प्रमुख रूप से चुनाव के कार्यालय का कार्य करता है। वहीं कार्य राज्य स्तर पर भी निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होता है।

पंचायत चुनावों का अधिकार ही राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है।

- निर्वाचन आयोग - अनुच्छेद 324
- 3 सदस्यीय विकाय
  - एक मुख्य सूचना आयुक्त, ही अन्य चुनाव आयुक्त।

निर्वाचन आयोग के कार्य :- निर्वाचन आयोग के कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं।



# मुख्य परीक्षा

## म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

(1) चुनाव विधियों का निर्धारण - अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव करवाने का अधिकार किसी अनुच्छेद से नहीं बंधा है।

(2) चुनाव क्षेत्रों का परिभाषण या सीमांकन करना। इसके तहत प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के उपरोक्त परिभाषण करना।

(3) मतदाता सूचियों तैयार करना।

(4) राजनीतिक दलों का पंजीकरण - अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा दलों का पंजीकरण।

(5) चुनाव चिह्न का आवंटन करना।

(6) चुनाव के लिए आचार संहिता लागू करना।

(7) निर्वाचन के समय प्रचार के लिए रेडियो, टी.वी. कार्यक्रम निर्धारित करना।

(8) राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना।



# मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

कनिष्ठ अधिकारी कार्य :- (1) अनु. 103 के तहत  
गारूपारि अंश के सदस्यों की अभ्यर्थिताओं  
के संबंध में निर्वाचन आयोग के परामर्श  
पर मकत है।

(2) अनु. 192 के तहत वही अधिकार  
राज्यपाल को दिया गया है।

इसके अलावा आयोग का कार्य है कि वह  
समय-समय पर सरकार को अपने कार्यों  
के संबंध में सूचना देता रहेगा।  
साथ ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार देता  
रहेगा।

43

महत्वपूर्ण अनु. का जखर दिखे  
पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है